


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/साप्रस/21893/12/78 दिनांक 29.09.78 के अन्तर्गत निम्नांकित व्याख्याता को उनके स्वयं के खर्चे पर वर्ष 2015-16 में एम.एड. करने की कार्योत्तर स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है :-

1. इनके सेवा विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो बिना किसी पूर्व सूचना के स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
2. यह अनुमति सार्वजनिक परीक्षा हेतु वर्ष 2015-16 के लिए संस्थान जिसमें कार्मिक कार्यरत है, के लिए निर्धारित कोटे के अन्तर्गत आने पर ही मान्य होगी।
3. विश्व विद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री को राज्य सरकार/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता न होने पर इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. एम.एड. हेतु अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।

क्र. सं.	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान	परीक्षा	सत्र
1	श्री नारायण लाल बलाई, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि आसीन्द, भीलवाड़	एम.एड.	2015-16



(नथमल डिडेल)

आईएसएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

मांक- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एम.एड./2018

दिनांक- 09/01/2019

तैलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
3. संबंधित संस्था प्रधान,
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर